



प्रेस विज्ञप्ति



कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महराजगंज-दिनांक मई 31, 2022

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग-

जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाड़ियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 246 वाहनों का चालान किया गया।

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल-40 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

पैदल गश्त अभियान- श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गश्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके।

आबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना श्यामदेउरवां पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्ता सीता पत्नी सीताराम नि0 बेलासपुर नर्सरी थाना श्यामदेउरवां जनपद महराजगंज के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 124/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही करते हुए चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना बरगदवां पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्ता निशा पुत्री सुधाई नि0 गनेशपुर थाना बरगदवां जनपद महराजगंज के कब्जे से 05 लीटर कच्ची शराब कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 50/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में व अभियुक्त लंकेश पुत्र राधेश्याम नि0 बेलहिया थाना बरगदवां जनपद महराजगंज के कब्जे से 05 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 51/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना निचलौल पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्ता छोटू पासवान पुत्र लहबर नि0 पतौना थाना निचलौल जनपद महराजगंज के कब्जे से 21 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 211/22 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम में व अभियुक्त सूरज पुत्र बजरंग लाल नि0 बैठवलिया थाना निचलौल जनपद महराजगंज के कब्जे से 18 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 212/22 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना कोल्हुई पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्ता सामसती पत्नी बहादुर चौहान नि0 जंगल गुलरिहा थाना कोल्हुई जनपद महराजगंज के कब्जे से 05 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 77/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

आर्म्स अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना पनियरा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त रमजान पुत्र कासिम अली नि0 मोहदीनपुर थाना पनियरा जनपद महाराजगंज के कब्जे से 01 अदद नाजायज चाकू बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 92/22 धारा 4/25 आर्म्स अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया ।

कस्टम एक्ट में की गयी कार्यवाही-

थाना कोल्हुई पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त दिनेश सिंह पुत्र श्रीराम नि0 कास्तखैरा थाना कोल्हुई जनपद महाराजगंज के कब्जे से 06 बोरी युरिया खाद बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 निल/22 धारा 3/11 कस्टम एक्ट में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।

विवेचनाओं का निस्तारण- पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल-16 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया ।

जनपद में 30/31.05.2022 को विभिन्न अपराधों में कुल- 47 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी ।